RAJYA SABHA

Friday, the 22nd December, 2000/1 *Pausa,* 1922 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ban by BCCI on playing cricket

*481. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of YOUTH \FFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether BCCI has banned some cricketers from playing the game on account of the charges of match fixing;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the response of the Ministry in this regard?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. BCCI has banned Shri Ajay Sharma and Mohd. Azharuddin for life and Shri Manoj Prabhakar and Shri Ajay Jadeja for 5 year from playing the game on the basis of findings of CBI on match fixing.

(c) This Ministry has consulted Ministry of Law and further appropriate action is under consideration.

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, क्रिकेट हमारे देश में एक लोकप्रिय खेल है और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हमारी टीम किसी दूसरी टीम के साथ हिन्दुस्तान के मैदान में या हिन्दुस्तान से बाहर किसी भी देश के मैदान में खेलती है तो क्रिकेटर्स पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश के सम्मान और गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर कोई क्रिकेटर मैच फिक्सिंग करता है या जान बूझकर के कुछ पैसे के लालच में मैच हारता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वह देश के सम्मान को बट्टा लगाता है। मेरी नज़र में यह अपराध संगीन अपराध है। इस विषय में सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट के बाद बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ ने चार खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने से बैन किया है। मेरा कहना यह है कि ऐसे अपराध के लिए क्रिकेटर्स को बैन करना पर्याप्त नहीं था। जो चार खिलाड़ी बैन किये गये अजहरुद्दीन, अजय शर्मा, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर उनमें से तीन खिलाड़ियों ने कहा कि

हमने कभी मैच फिक्स नहीं किया, हमको कुछ पता नहीं। लेकिन अजहरुद्दीन ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि हां मैंने तीन मैच फिक्स किये हैं। यह उन्होंने सी० बी० आई० के सामने स्वीकार किया। सी० बी० आई० के सामने कम से कम जिस व्यक्ति ने स्वीकार किया उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। मुंबई पुलिस के पास भी ऐसी जानकारी है। मैं उनकी क्रिकेट प्रतिभा पर कोई शक नहीं करता। लेकिन क्रिकेट के ज़रिये पैसा कमाने की जो दुर्भावना पैदा हुई उस दुर्भावना के कारण गलत तत्वों के साथ उनके संबंध थे। मुंबई पुलिस को यह गुप्त सूचना थी कि दुबई में उनके बैंक खातों से आतंकवादी संगठनों को पैसे दिये जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना सबसे जरूरी है। मैं माननीया मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूं कि अजहरुद्दीन को गिरफ्तार करने में आखिर क्यों ...(व्यवधान) थोड़ा-सा कनफ्यूज़न हो गया था, साफ-साफ शब्दों में लॉजिक दिये गये, मैं अज़हरुद्दीन की बात कर रहा हूं, मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अजहरुद्दीन को गिरफ्तार करने में आखिर किस बात की देरी है? अगर उसको गिरफ्तार करना है तो उस संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया है? ला मिनिस्ट्री ने अपनी पूरी डिटेल में रिपोर्ट दे दी है। अजहरुद्दीन के संबंध में बताएं, अगर आप रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं रमज़ान के बाद क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है?

सुश्री उमा भारती: सर, सब से पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि अगर माननीय सदस्य महोदय ने कह भी दिया कि मैं पूछना चाहती हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है।...(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा: आप भी कह दीजिये मैं बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

सुश्री उमा भारती: सर, हमारे समाज में एक और व्यक्ति शामिल हो जाएगा महिलाओं में, हमको क्या दिक्कत है। सर, जो पूरक प्रश्न उन्होंने पूछा है उसके बारे में मुझे यह बताना है कि जब सी० बी० आई० की रिपोर्ट हमारे पास आई, सी० बी० आई० की रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की जा सकती है, इसके बारे में हमने विधि मंत्रालय को लिखा और विधि मंत्रालय ने जो परामर्श दिया, उसके बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, उसके बाद हमने इसलिए दोबारा एक और पत्र भी मंत्रालय को लिखा है, हमने उनसे परामर्श मांगा है कि मैच फिक्सिंग जैसे जघन्य अपराध भविष्य में न होने पाएं, इसको रोकने के लिए अगर कानून में कोई संशोधन करना पड़े तो वह करें। विधि मंत्रालय ने हमको परामर्श दिया था सी० बी० आई० रिपोर्ट पर हमारे पहले पत्र के आधार पर, उस परामर्श के कारण हम जिस प्रकार से कार्यवाही करना चाहते थे, हमें जिन चीज़ों की दिक्कत आ रही थी, उसी के कारण हमने दोबारा उनको पत्र लिखा था। बाकी मैं माननीय सदन को आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहती हूं कि बी० सी० सी० आई० के द्वारा कुछ निर्णय लिये जाने के बाद हमारे अपने मंत्रालय ने निर्णय लिया है। जो तीन खिलाड़ी हैं जिनको हमने अर्जुन अवार्ड दिये हुए थे।

मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर को यह अर्जुन अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि खिलाड़ी खेल के मैदान में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके देश का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे मंत्रालय ने इन अवार्ड्ज़ को वापस लेने के लिए विधि मंत्रालय से परामर्श के लिए लिखा है कि हम इन अवार्ड्ज़ को अगर वापस लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या हो? इसके बारे में हमें विधि मंत्रालय से जब उत्तर मिला तो हमारे मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि हम इन तीनों खिलाड़ियों से ये अवार्ड्ज़ वापस लेंगे। लेकिन इसके लिए हम उन्हें 15 दिन का समय देंगे कि वे अपनी तरफ से इसका उत्तर हमें दें ताकि वे अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं तो उसे रख सकें। हमने यह तय किया है कि हम मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जड़ेजा और मनोज प्रभाकर, इन तीनों से अर्जुन अवार्ड वापस लेंगे, लेकिन इसके बारे में अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो हमने उनको नोटिस दिया है कि वे 15 दिन के अंदर हमें इसका उत्तर दें। बाकी जो माननीय सदस्य ने बताया कि मुंबई पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं तो मुंबई पुलिस इस मामले में कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए केन्द्र से या हमारे मंत्रालय से उनको किसी भी प्रकार के परामर्श की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में ये फाइंडिंग्ज़ मुंबई पुलिस की है। तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार इस पर कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मुंबई पुलिस की तो एक गुप्त सूचना मैंने माननीया मंत्री महोदया को दी थी। सी० बी० आई० के सामने उन्होंने जो अपना बयान दिया है उस बयान के आधार पर भी अजहरुद्दीन के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती थी, लेकिन माननीया मंत्री जी उस सवाल को टाल रही हैं। मैं उसके लिए जोर नहीं देना चाहता। सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि मैच फिक्सिंग निश्चित तौर पर सिर्फ खिलाड़ियों की तरफ से नहीं होता, मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़े रैकेट का परिणाम है और उसमें जिस तरह से खिलाड़ी इन्वाल्व थे बिल्कुल उसी तरह से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी शामिल थे। सी० बी० आई० ने जो इन्क्वायरी की वह खिलाड़ियों के खिलाफ हुई और उसमें खुद बी० सी० सी० आई० ने एक माधवन नाम के रिटायर्ड सी० बी० आई० के अफसर को अप्वायंट् किया और फिर से छानबीन कराई। लेकिन उन्होंने भी खिलाड़ियों के खिलाफ ही छानबीन की। हमारा यह कहना है कि जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी थे, उनकी भूमिका भी इस संदर्भ में संदिग्ध रही है। उन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ क्या किसी तरह की छानबीन करने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास है? इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाह रहा हूं कि सी० बी० आई० की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट आज तक सदन में रखी नहीं गई है। अगर उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाए तो निश्चित तौर से उस पर विस्तार से चर्चा हो, क्योंकि जैसा कि खुद मंत्री महोदया ने कहा कि यह अपने आप में एक बड़ा जघन्य अपराध है, एक राष्ट्रीय समस्या है। तो सी० बी० आई० की रिपोर्ट सदन में रखने के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदया की क्या राय है? दूसरा क्रिकेट

कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने या उनके खिलाफ फिर से छानबीन स्थापित करने के सदर्भ में मंत्रालय का क्या रुख है?

सुश्री उमा भारती: सर, मैं जवाब को बिल्कुल टाल नहीं रही थी। माननीय सदस्य को अगर ऐसा आभास हुआ है तो मैं उसमें बताना चाहूंगी कि हमने विधि मंत्रालय को लिखा था सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट भेज करके कि वह हमें बताए कि हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं और उसके आधार पर उन्होंने जो हमें जवाब भेजा उसमें हमारी स्थिति वही थी जैसे कि कोई विदेशी नागरिक भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है या नहीं। इस बारे में जब हम संविधान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संविधान के निर्माताओं को शायद उस समय आभास नहीं रहा होगा कि हमारे देश की ऐसी दुर्दशा भी कभी हो जाएगी। इसी तरह से मैच फिक्सिंग की जो स्थिति है उसके संबंध में हमने लिखा था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो हमें इसके बारे में सुझाव दिए थे उन सुझावों के आधार पर हमने फिर उनको लिखा कि वे हमें आगे बताएं कि मैच फिक्सिंग जैसे जघन्य अपराध खेल में न हो पाएं, इसमें हमें वह कानून में ही कोई संशोधन करने के लिए बताएं कि वे कुछ कर रहे हैं या हमारी उसमें किस प्रकार की... **(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम: मंत्री महोदया, हमारे देश में पहले से ही गैंबलिंग एक्ट है। उस एक्ट के अंदर अगर यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से गैंबलिंग की है तो उसको 6 महीने की जेल होती है।

सुश्री उमा भारती: सर, मैं यह बताना चाहती हूं कि गैंबलिंग एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। क्योंकि यह स्टेट सब्जैक्ट में आ जाता है।

श्री संजय निरुपम: तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार को कम से कम आप निर्देश दीजिए। वे हैदराबाद में रहते हैं।

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल ठीक है लेकिन आन्ध्र प्रदेश की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वह गैंबलिंग एक्ट के अंतर्गत कैसे कार्यवाही हो सकती है, इससे वे अवगत हैं। इस बारे में हम किसी भी राज्य को परामर्श नहीं दे सकते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने अधिकारों के... **(व्यवधान)**

SHRI ADHIK SHIRODKAR: The Central Government can act under section 420 of the IPC.

सुश्री उमा भारती: लेकिन सर, मैच फिक्सिंग चीटिंग के अंतर्गत और चार सौ बीसी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है इसी के बारे में तो हमने परामर्श के लिए लिखा था कि विधि मंत्रालय हमें बताए....। कि यह आता किस के अंतर्गत है और हम कार्यवाही कर सकते हैं या

नहीं? सर, विधि मंत्रालय ने इस पर हमें जो परामर्श दिया, वह इस प्रकार से था कि अगर कार्यवाही हो सकती है तो सिर्फ दो लोगों पर हो सकती है—अजय शर्मा और अजहरुद्दीन पर और वह भी एंटी-करप्सन एक्ट के अंतर्गत हो सकती है। लेकिन फिर यह पॉइंट डिबेटेबल हो गया कि एंटी-करप्सन एक्ट के अंतर्गत जो कार्यवाही हो सकती है, वह तभी हो सकती है जब उन्होंने पब्लिक सर्वेन्ट कैपेसिटी से वह करप्सन किया हो। अगर पब्लिक सर्वेन्ट की कैपेसिटी के दायरे से बाहर निकलकर उन्होंने करप्सन किया है तो फिर राज्य की सरकार अगर गैम्बलिंग एक्ट के अनुसार कार्यवाही कर सकती है तो उसमें न हम उन को परामर्श दे सकते हैं और न ही उन की कार्यवाही में व्यवधान डाल सकते हैं। सर, मैंने पहले ही कहा कि हमारी स्थिति यह है कि हम ने विधि मंत्रालय से इसलिए दोबारा परामर्श किया और उहोंने हमें फिर जो परामर्श दिया, उस की भी वही स्थिति है। उन का कहना है मान लीजिए अगर कोई स्टेट हमें लिखती है जो स्टेट हमें लिखेगी कि वह इस को रोकने के लिए कार्यवाही करना चाहती है, तो फिर वही स्टेट उस को लागू कर पाएगी। हम भी उस को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने विधि मंत्रालय को लिखा और हमें वह उचित समाधान लगा कि मैच फिक्सिंग भविष्य में न होने पाए, इस बारे में कानून में ही इस प्रकार का कोई प्रावधान हो कि मैच फिक्सिंग को एक जघन्यतम अपराध माना जाए क्योंकि मैच फिक्सिंग, गैम्बलिंग कोई साधारण अपराध नहीं है, यह बहुत भयंकर अपराध है। दूसरे देश के साथ मिलकर अपने देश को हराने की साजिश रचना, इस को बहुत जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। इन स्थितियों के कारण जब हमें विधि मंत्रालय से सुझाव मिलेगा तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य ने रखी तो हर चीज पर जब हम ने सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट मांगी और उसका अध्ययन किया तो हमें उसमें ऐसा इंडीकेशन नहीं मिला जिस से हमें कुछ लगे। बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ के अधिकारियों की उन्होंने जांच-पड़ताल की है, हर चीज की जांच-पड़ताल की है और जांच पड़ताल से मेरा मतलब है कि उन्होंने खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में कोई भी एंगल नहीं छोड़ा है। उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगा और हम उस रिपोर्ट को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह रिपोर्ट अपने आप में कम्प्लीट है। माननीय सदस्य ने बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ के अधिकारियों के बारे में पूछा है तो उस एंगल की सी॰ बी॰ आई॰ के अधिकारियों ने अनदेखी की हो, ऐसा हमें नहीं लगा। तीसरी बात उन्होंने सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के बारे में कही है, उस के बारे में हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री संजय निरुपम: लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और सौ करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हुई, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है?

MR. CHAIRMAN: No. It is all right. That is already finished.

श्री रामगोपाल यादव: श्रीमन् मैं प्रश्न पूछने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है जिसको जरूरत-से-ज्यादा तूल दिया जा रहा है। श्रीमन्, इस देश में लाखों लोग रोजाना भूखे पेट सर्दी के दिनों में सड़कों पर सोने को विवश हैं। इस देश की आर्थिक संपत्ति को विदेशों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है, लेकिन इस बारे में किसी को चिंता नहीं है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं और मेरे सवाल के स्पेसिफिक दो पार्ट हैं कि जिस खेल में 11 लोग खेलते हैं, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति मैच फिक्स कर सके जबकि हर मैच में अनेकों बार कई बल्लेबाज फेल हो जाते हैं और एक या दो खिलाड़ी मैच जिता देते हैं? मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है कि जो आरोप अजहरुद्दीन पर लगे हैं कि उन्होंने फलां मैच फिक्स किए हैं, उनमें क्या अजहरुद्दीन का परफॉर्मेंस खराब था? मंत्री महोदय, इस बारे में भी सारा विवरण सदन के पटल पर आना चाहिए।

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य ने जैसा कहा वास्तव में इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए और उसके लिए हैंसी क्रोनिए के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उसके बाद ही मैच फिक्सिंग का सारा मामला सामने आया और अंत में सी॰ बी॰ आई॰ की जांच हुई। सर, दिल्ली पुलिस ने अभी उस पर अपनी कार्यवाही जारी रखी है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जब वह कार्यवाही अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी तभी इस बात का खुलासा हो सकेगा कि 11 लोगों की टीम में क्या कोई खिलाड़ी ऐसा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट में अजहरुद्दीन ने एक-दो जगह यह स्वीकार किया है कि "We decided to throw the match and we threw the match."
लेकिन वास्तव में ऐसा संभव हो सकता है या नहीं, यह बात तो जब दिल्ली पुलिस की कार्यवाही अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी, तब यह बात पता हो सकेगी। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह भी जब सी॰ बी॰ आई॰ की रिपोर्ट आपकी जानकारी में आएगी, उसके बाद ये बातें सामने आ जाएंगी।

SHRI KAPIL SIBAL: Thank you, Mr. Chairman. The hon. Minister has just said that in the CBI report, there is a reference on two occasions, when Mohd. Azharuddin seems to have stated that they had decided to throw the match. The hon. Minister knows that a statement made to a police officer is not admissible in evidence, and therefore, that cannot be any evidence against Mohd. Azharuddin. But, going away from the issue, for a moment, in the last couple of days, a very significant statement has been made by the hon. Home Minister. He has said that he doubts the credibility of the CBI, and he said that when he read the chargesheet ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: How does it come here?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You are deviating from the question. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Is it relevant to this question? ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, it is very much relevant to this question. ...*(Interruptions)*... Let me put the question.

SHRI T. N. CHATURVEDI: You are adding a new complexion to it. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Will you permit me to put the question? He has said that when he read a chargesheet in another case—I do not want to name that case—he was surprised; and when this issue was raised, whether he said it or not, he denied it, and he said that statement was made by the hon. Minister, who is before us. Now, the question that I put to the hon. Minister is : do you have full faith in all the CBI chargesheets that have been filed against individuals? I want to put that question.

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक वकील की तरह जिरह कर रहे हैं मेरे साथ और दूसरे सवाल में तो जैसे वकील कोशिश करते हैं अदालत में, उन्होंने वैसी कोशिश भी की है। पहली बात, सर, मैं यह बताना चाहती हूं कि आडवाणी जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी नहीं दिया।

श्री कपिल सिब्बल: उन्होंने कहा, आपने दिया।

सुश्री उमा भारती: वही बात मैं बता रही हूं। सर, हम लोग सैंट्रल हाल में बैठे हुए थे। मैं आडवाणी जी के पास बैठी हुई थी और मेरी आडवाणी जी से गुड ह्यूमर में इन्फॉरमल चैट हो रही थी। संयोग से दूसरे दिन वैंकैया नायडु जी के यहां एक कार्यक्रम था, वहां पर भी आडवाणी जी थे, मैं थी और आसपास कुछ पत्रकार बंधु खड़े हुए थे। हम लोग एक-दूसरे से बात करते हुए मज़ाक कर रहे थे, मैं और आडवाणी जी, उस बात को सुनकर के पता नहीं किस प्रकार वह बात अखबारों में आई। जैसे आपस की बातचीत में कई बार कांग्रेस के सदस्य भी अपने नेता के खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े है कि वे कोई आफिशियल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ऐसे तो कितनी बातें होती हैं। 6 दिसम्बर के बाद उनको अपने प्रधान मंत्री को मैंने इतनी गालियां देते हुए सुना है, वह आफिशियल स्टेटमेंट थोड़े होती है। सामने तो आप लोग हाथ जोड़-जोड़ कर नमस्कार करते हैं और पीछे से उन्हीं की आलोचना करते हैं। इसलिए, सर,

यह बिल्कुल इन्फारमल चैट थी, अखबार वालों ने छाप दी। आडवाणी जी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। वह मैं थी जो आडवाणी जी को कह रही थी और वह भी बिल्कुल विशुद्ध मज़ाक के तौर पर उनके सामने यह बात कह रही थी...(व्यवधान)...

SHRI KAPIL SIBAL: Therefore, you have full faith!

सुश्री उमा भारती: इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम राज्य सभा तो न्याय करे कि जो बात ...(व्यवधान)...

SHRI KAPIL SIBAL: Do you have full faith in all the chargesheets, including this chargesheet? ...*(Interruptions)*...

सुश्री उमा भारती: मैं दूसरी बात पर आ रही हूं।

श्री कपिल सिब्बल: इसका जवाब दे दीजिए, हां या नहीं में।

सुश्री उमा भारती: सर, मामला सब-ज्यूडिस है।

श्री कपिल सिब्बल: आप कहिए कि मुझे फुल फेथ है, हम बैठ जाएंगे। मैं मानता हूं कि मिनिस्टर होने के नाते आपको सी० बी० साई० की हर चार्जशीट पर फुल फेथ है। आपको हां कहना है या नहीं।

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: इनको देश के कानून में फेथ है।

श्री कपिल सिब्बल: सी० बी० आई० देश के कानून का एक हिस्सा है।

श्री टी० एन० चतुर्वेदी: इनको न्यायपालिका के न्याय में फेथ है। आप खाली सी०बी०आई० ...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: चतुर्वेदी जी, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं, सवाल तो मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं। You are not entitled to intervene.

श्री मोहम्मद सलीम: चतुर्वेदी जी, मंत्री जी सशक्त हैं, इनको आंसर देने दीजिए।

श्री सतीश प्रधान: आप हां या नहीं में जवाब देने के लिए ही क्यों बोल रहे हैं!

श्री कपिल सिब्बल: सी० बी० आई० देश के कानून का एक हिस्सा है, सी० बी० आई० देश के कानून से अलग नहीं है। मैं आपसे सवाल हां या नहीं में पूछ रहा हूं कि क्या आपको सी० बी० आई० में पूरा फेथ है या नहीं। मुझे फेथ नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं।

सुश्री उमा भारती: मेरा कहना है कि इस देश के कानून में, इस देश की न्यायपालिका में मेरा पूरा विश्वास है।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सी० बी० आई० की बात कर रहा हूं।

सुश्री उमा भारती: और इस न्यायपालिका को सहयोग करने वाले जितने भी इंस्टीटूशन्स हैं, मैं उनका आदर करती हूं, उनमें मेरा विश्वास है।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सी॰ बी॰ आई॰ के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया।

SHRI K. M. SAIFULLAH: Sir, just now, Shri Sanjay Nirupam has told the Minister that only Mohd. Azharuddin may be prosecuted; not Jadeja. We are not concerned with only one player, as far as this case is concerned. We are all Indians; whoever is found guilty, should be prosecuted. I want to know from the hon. Minister whether the confession is true or not. Sir, I would like to inform that a confession made before a police officer is not a confession under Section 25 of the Evidence Act. I want to know whether they are taking any steps to record the statement under Section 64 of the Cr.P.C. And further, when we are following the theory that unless a man is convicted, he cannot be prosecuted, my question is unless Mr. Azaharuddin is convicted, can we withdraw the Arjun Award from him?

सुश्री उमा भारती: सर, इसलिए आपके माध्यम से मैंने पहले ही माननीय सदस्य को जानकारी दी कि हमने उनको 15 दिन का नोटिस दिया है, समय दिया है और उनको कहा है कि वह अपना पक्ष हमारे सामने रखें। अभी हम उनको अपना पक्ष सामने रखने का पूरा अवसर दे रहे हैं। हमने अपनी तरफ से यह फैसला किया है दुराचरण मान करके। लेकिन हमने फिर भी इसमें उनको सफाई देने का पूरा 15 दिन का अवसर दिया हुआ है। हम किसी के साथ में कोई भी अन्याय नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी मर्यादाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठा कर अपना पक्ष हमारे सामने रखेंगे जिस पर हम विचार करेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मेरा सवाल थोड़ा हट करके है। ...**(व्यवधान)**...

हम सारा दिमाग खर्च कर रहे हैं मैच फिक्सिंग पर जबकि हमारा दिमाग खर्च होना चाहिए मैच जीतने पर। भारत का नाम तब होगा जब हम मैच जीतेंगे, हम लगातार हार रहे हैं और ओलम्पिक में सारी दुनिया में जितने खेल होते हैं हम कहीं भी जीत करके नहीं आते। तो मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि हाकी, फुटबॉल आदि में ताकत, दिमाग बहुत लगते थे और यह भी विश्व में माने हुए खेल थे, लेकिन हमारे देश में तीरंदाजी के लिए, पहलवानी के लिए ...**(व्यवधान)**... सवाल भी पूछ रहा हूं। दौड़ के लिए, कूद के लिए

बड़ा भारी स्कोप है और हम दुनिया में खेलों में जीत सकते हैं। तो मंत्री महोदया, क्या आपका ध्यान कभी इधर भी जाएगा या मैच फिक्सिंग पर समय खराब होता रहेगा?

MR. CHAIRMAN: Your question does not arise out of this question.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, as far as the match-fixing is concerned, this discussion is being centred on the cricketers and the betting circles. But, in cricket, one-day cricket match is sponsored by the sponsorers. I had put this question earlier also. So, my question is whether any effort has been made in inquiring into the connections, if any, between the sponsor and the betting circles. These are the big players. It is only the small ones who are coming to the forefront, but those who are sponsoring the one-day matches *vis-a-vis* the five-day test matches, which is the real cricket. स्पांसर के साथ क्या कुछ है वह कोई नहीं बोल रहा है। स्पांसर बड़े-बड़े लोग हैं।

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है पूरक प्रश्न में भी यही था। आपने पूछा है कि वन-डे मेचेज के जो स्पांसर होते हैं इस केस की भी सी॰ बी॰ आई॰ ने जो जांच की है वह विस्तृत जांच है और उन्होंने कोई एंगिल छोड़ा ही नहीं है। अगर माननीय सदस्य उसको देखेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि कोई एंगिल ऐसा छूट गया है तो उस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: जरूर कीजिए मैंने देखा है। No sponsor has been investigated in that way. No one has been called for investigation as far as the sponsors are concerned. They are very big people. आपको मालूम है न, बहुत बड़े आदमी हैं। उनको तो बुलाना बहुत बड़ा काम होता है हिन्दुस्तान में।

सुश्री उमा भारती: सर, दूसरी बात जो आई है वन-डे मेचेज की संख्या कम करने की, तो बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ अपने आप में स्वतंत्र है और जिन लोगों के साथ उनके वन-डे मेचेज होते हैं या वह इस बारे में जो भी निर्णय लेते हैं, बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ अगर इस पर पुनर्विचार करें तो हम इस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वन-डे मेचेज से क्रिकेट खेल की जो ओवर-ऑल परफार्मेंस है, उसकी जो भव्यता है उसमें जो वजनदारी है वह कम होती है और अगर बी॰ सी॰ सी॰ आई॰ उसको कंसीडर करे तो वह अपने आप में स्वतंत्र हैं उसको कंसीडर करने के लिए।